न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 58/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्योनारायण जाति ब्राह्मण निवासी नंगला माधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/सायल

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0/गैर सायलान

उपस्थित :–
1.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.12.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 479 रकबा 1.90 है0 ग्राम नंगला माधोपुर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी सायल के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले चले आ रहे हैं तथा सायल के पिता श्योनारायण के फौत होने पर सायल विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता है । विवादित आराजी सायल के बाबा मानसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । सायल मृतक मानसिंह का पौत्र है । विवादित आराजी पर सायल के पिता भंवरलाल, बालकिशन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में सायल के पिता श्योनारायण का नाम विवादित आराजी की खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित

 31/12

आराजी सायल के पिता श्योनारायण का घरेलू बंटवारें में आयी थी जिस पर सायल के पिता तन्हा काबिज काश्त रहकर काश्त करता आ रहा है । विवादित आराजी कभी भी खाली अथवा राजकीय भूमि नहीं रही । समस्त साबिक राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सायल के पिता की खातेदारी में दर्ज है । बन्दोस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया व खातेदारी खत्म कर दी जबकि कानूनन बन्दोबस्त विभाग को तो पूर्व इन्द्राज ही रिपीट कर सायल के पिता की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी । बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है । गलत इन्द्राज की आड़ में गैर सायलान सायल को विवादित आराजी से बेदखल करने पर उतारू हैं । इसलिए उन्हें ताफैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर कैम्प कोर्ट में वादीगण का प्रार्थना पत्र दि0 24.05.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में अपीलांट/सायल तथा उसके वकील की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया है तथा तहत न्यायालय ने ना तो कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस पेश किया और ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया । विवादित आराजी सायल/अपीलांट के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले चले आ रहे हैं तथा सायल के पिता श्योनारायण के फौत होने पर सायल विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता है । विवादित आराजी सायल के बाबा मानसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । सायल मृतक मानसिंह का पौत्र है । विवादित आराजी पर सायल के पिता भंवरलाल, बालकिशन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में सायल के पिता श्योनारायण का नाम विवादित आराजी की खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित आराजी सायल के पिता श्योनारायण का घरेलू बंटवारें में आयी थी जिस पर सायल के पिता तन्हा काबिज काश्त रहकर काश्त करता आ रहा है । विवादित आराजी कभी भी खाली अथवा राजकीय भूमि नहीं रही । समस्त साबिक राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सायल के पिता की खातेदारी में दर्ज है । बन्दोस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया व खातेदारी खत्म कर दी जबकि कानूनन बन्दोबस्त विभाग को तो पूर्व इन्द्राज ही रिपीट कर सायल के पिता की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी । बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है ।

तहत न्यायालय ने पारित आदेश से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दुओं को अलग–अलग विवेचन व निस्तारण करना चाहिए

3/12

था लेकिन तहत न्यायालय ने ऐसा न करके विधि विरूद्ध, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत तथा कब्जे मौके व साबिक रेकार्ड के खिलाफ निर्णय पारित किया है जा निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि विवादित आराजी सायल/अपीलांट के पिता की खातेदारी में ना होकर सरकारी सिवायचक भूमि है जिसकी मालिक राजस्थान सरकार है । राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सही रूप से सरकारी सिवायचक दर्ज की है । सायल/अपीलांट के पूर्वजों का विवादित आराजी से किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अपीलांट ने सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है । तहत न्यायालय ने रेकार्ड अनुसार उचित निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया ।

राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है । विवादित आराजी पर अपीलांट/सायल का कभी कब्जा काश्त रहा हो, ऐसा कोई रेकार्ड या दस्तावेज न तो तहत न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया । साथ ही उक्त आराजी बाबत बन्दोबस्त विभाग सायल/अपीलांट के पिता की खातेदारी को खत्म कर सिवायचक दर्ज कराने का प्रश्न है जो तथ्य दावे में साक्ष्य एवं सबूत से तय होगें ।

तहत न्यायालय ने तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और नापूर्ति होने वाली क्षति अपीलांट / सायल के पक्ष में साबित नहीं होना माना है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और तहत न्यायालय ने जो विवेचन उपरान्त निर्णय पारित किया है, वह उचित है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दि0 24.05.2017 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर